ई-फाइल सं.15/45/2015-नेवा

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,
नई दिल्ली-110 001
तारीख: 16 मार्च, 2020

<u>अधिसूचना</u>

विषय: सभी विधानसभाओं/परिषदों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए डिजिटल विधानमंडलों हेतु राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन, एक मिशन मोड परियोजना, के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना के संबंध में।

***

जैसा कि ई-विधान को आरंभ करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति द्वारा अधिकार दिया गया है, भारत सरकार ने डिजिटल विधानमंडलों हेतु सभी विधायी सदनों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)' के कार्यान्वयन के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को तीन वर्षों की अवधि के लिए रू.673.94 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। नेवा परियोजना की स्कीम के अनुसार, राज्यों को अपने विधानमंडलों को 'डिजिटल सदन' में रूपांतरित करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें कागज रहित मोड में राज्य सरकार के विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत सहायता को परियोजना के दिशानिर्देशों में संकेतित मानदंडों, नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा। भारत सरकार के वित्त पोषण का हिस्सा रु.4,23.60 करोड़ होगा।

2. भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, निम्नलिखित संरचना अनुसार ई-विधान के कार्यान्वयन हेतु राज्य (राज्यों) को वित्तीय सहायता अनुमोदित करने के लिए नेवा की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

i)	सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	अध्यक्ष
ii)	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी या उनके नामिति	सदस्य
iii)	वित्तीय सलाहकार	सदस्य
iv)	महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	सदस्य

v)	एमडी, एनआईसीएसआई	सदस्य
vi)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सचिव	सदस्य
vii)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)	सदस्य
viii)	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	सदस्य सचिव
ix)	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	विशेष आमंत्रिती

3. अधिकारप्राप्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

क) प्रत्येक राज्य विधानमंडल हेतु डीपीआर को अनुमोदित और परियोजना को मंजूर करना।
ख) परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या अन्यथा मंजूरियों में परिवर्तनों के संबंध में किसी राज्य विधानमंडल के विशेष अनुरोध पर विचार और अनुमोदित करना।

4. दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार, नेवा परियोजना का रखरखाव केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों द्वारा किया जाएगा। परियोजना का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयां गठित की जानी हैं। प्रत्येक राज्य विधानमंडल में, नेवा परियोजना के पर्यवेक्षरण हेतु अपने-अपने पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारप्राप्त सर्वोच्च समिति का भी गठन किया जाएगा।

5. नेवा परियोजना संबंधी गतिविधियां शुरू करने से पहले, भारत सरकार, राज्य सरकार (बजट लाइन नोडल विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व) और राज्य विधानमंडल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना अपेक्षित है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, सभी राज्य विधानमंडलों के लिए अंतर विश्लेषण रिपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आइसीटी उपकरणों के वर्तमान क्रियाशील सामान को प्रतिलिपिकरण से बचने के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाएगा और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

6. संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के चालू होने की तारीख से 36 महीने तक सहायता करेगा। तीन वर्ष की अवधि के पश्चात, राज्य विधानमंडल में परियोजना के तहत सृजित हार्डवेयर सहित नेवा अवसंरचना अपने-अपने सदन के स्वामित्व में होगी, जो अपने खुद के संसाधनों से इसके रखरखाव/प्रतिस्थापन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। भारत सरकार केवल केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से नेवा सूट के रखरखाव/उन्नयन, एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं, प्रचार और क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की लागत वहन करेगी।

7. परियोजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, परियोजना के तहत खरीदे गए आईसीटी उपकरणों की संसदीय कार्य मंत्रालय और एनआईसी, भारत सरकार के अधिकारियों की एक समिति द्वारा तकनीकी

जांच की जाएगी। परियोजना की मध्य अवधि में समीक्षा और अंत अवधि में मूल्यांकन भी किया जाएगा।

8. सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को उपयोग न किए जाने या सहायता अनुदान की मंजूरी को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, संबंधित राज्य सरकार सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गई पूरी राशि प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई होगा, के साथ भारत सरकार को वापस करेगी।

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: mukesh.kumar.mopa@nic.in
टेलीफोन नं. 011-23034899
फैक्स नं. 011-23018220

प्रतिपिलि:-

1. मुख्य सचिव, विधानमंडलों वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार।
2. सचिव, सभी विधानसभाएं/परिषदें।
3. नेवा की अधिकारप्राप्त समिति के सभी सदस्य।
4. वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ:-

1. नीति आयोग (श्री वी.पी. गर्ग, अनुसंधान सहयोगी), नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय (श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, पीएफसी-II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (श्री प्रवीण आर. चंदेकर, निदेशक), इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली।
4. आईएफयू, वित्त मंत्रालय (श्री अरविन्द कुमार सूरज, अवर सचिव), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
6. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के निजी सचिव।
7. उप सचिव (नेवा)।